न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **302/2018** दायर दिनाँक **23.08.2018**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. गीतादेवी पत्नी सायराराम, 2. भँवराराम पुत्र सायराराम, 3. तेजाराम पुत्र सायराराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–ढिगारिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सायराराम पुत्र भौंवाराम, जाति–जाट, निवासी–ढिगारिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री चेनाराम थोरी, वकील, वादीगण।
2. श्री अशोकुमार भाकर, वकील, प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **27.12.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सरहद ढिगारिया में खसरा नम्बर 44 रकबा 66.17 बीघा व सरहद गाँवड़ी में खसरा नम्बर 115 रकबा 52.13 बीघा व खसरा नम्बर 381/115 रकबा 26.07 बीघा भूमि अवस्थित है।

वादग्रस्त खसरान् सरहद ढिगारिया में खसरा नम्बर 44 रकबा 66.17 बीघा व सरहद गाँवड़ी में खसरा नम्बर 115 रकबा 52.13 बीघा प्रतिवादी संख्या 01 सायराराम की पैतृक खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि रही है तथा पूर्व में उक्त खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 के पिता व वादी संख्या 01 के श्वसुर तथा वादीगण संख्या 02 व 03 के दादा के नाम से रही है।

प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण के पति/पिता है तथा बदमाश प्रकृति का व्यक्ति है तथा वादग्रस्त भूमि को लेकर हमेशा झगड़ा करता रहता है व बैचाण करने की धमकी देता रहता है, चूँकि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 का नाम दर्ज है। वादग्रस्त भूमि का मौके पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के बीच 1/4 व 1/4 व 1/4 तथा 1/4 भाग पर काबिज हैं तथा पारिवारिक समायोजन इसी मुताबिक करते हैं।

वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी अंकित होने से वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उक्त भूमि को बैचाण की धमकी दिये जाने के कारण से बिनाय दावा उत्पन्न हुआ तथा दावा बाबत् वादीगण के पक्ष में काबिजकाश्त मुताबिक घोषणा खातेदारी का पेश है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

राजस्व वाद संख्या 302/2018
दायर दिनांक 23.08.2018, निर्णय दिनांक 27.12.2018
गीतादेवी, वगैरा बनाम सावलराम, वगैरा।

प्रार्थना वादीगण है कि,

सरहद ढिगारिया में खसरा नम्बर 44 रकबा 66.17 बीघा व सरहद गौंवड़ी में खसरा नम्बर 115 रकबा 52.13 बीघा का पक्षकारान् के बीच बन्टवारा किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के बीच प्रत्येक के 1/4 व 1/4 व 1/4 तथा 1/4 भाग की खातेदारी घोषित की जावे। वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में हाजिर नहीं आने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 01 ने वाद में अपनी ओर से इकबालिया जवाब पेश किया।

वाद के समर्थन में वादी ने, शपथ-पत्र, नक्शाट्रेश मौजा ढिगारिया में खसरा नम्बर 44 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम ढिगारिया सम्वत् 2071-2074 खेवट संख्या 36/34 खसरा नम्बर 44 कर प्रमाणित प्रतिलिपि, नक्शाट्रेश मौजा गौंवड़ी खसरा नम्बर 115 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम गौंवड़ी सम्वत् 2070-2073 खेवट संख्या 229/217 खसरा नम्बर 115 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश की है।

विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वाद में प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से इकबालिया जवाब पेश हो चुका है। इकबालिया जवाब के मद्दे नजर वकुलाय उभयपक्ष दावा डिक्री किया जाने पर सहमत हैं तथा इस्तदुआ कर रहे हैं कि इकबालिया/दावा मुताबिक दावा डिक्री किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। वादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण का पति/पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 01 के ही वारिसान् हैं जाहिर है कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से की भूमि में से हकमुताबिक हकदार हैं व प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से की भूमि में से 1/4 - 1/4 भाग की भूमि की खातेदारी चाहते हैं तथा प्रतिवादी संख्या 01 ने भी वाद में इकबालिया जवाब पेश कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वाद में अपना इकबालिया जवाब पेश कर दिये जाने वाद वादी पुष्ट होता है व साबित होता है।

ऐसी स्थिति में, वादग्रस्त खसरान् सरहद ढिगारिया में खसरा नम्बर 44 रकबा 66.17 बीघा व सरहद गौंवड़ी में खसरा नम्बर 115 रकबा 52.13 बीघा भूमि में से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01, प्रत्येक के हिस्सा 1/4 - 1/4 भाग की खातेदारी घोषित किया जाना अज अदालत को जायज लगता है।

अतः, वाद विवेचन, वाद वादी, निम्नानुसार डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 302/2018
दायर दिनाँक 23.08.2018, निर्णय दिनाँक 27.12.2018
गीतादेवी, वगैरा बनाम् सायराराम, वगैरा।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वादग्रस्त खसरान् की भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के किया जाकर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. सरहद ढिगारिया में खसरा नम्बर 44 रकबा 66.17 बीघा भूमि में से, हिस्सा 1/4 भाग का वादी संख्या 01 को व हिस्सा 1/4 भाग का वादी संख्या 02 को तथा हिस्सा 1/4 भाग का वादी संख्या 03 को तथा शेष हिस्सा 1/4 भाग का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।
2. सरहद गाँवड़ी में खसरा नम्बर 115 रकबा 52.13 बीघा भूमि में से, हिस्सा 1/4 भाग का वादी संख्या 01 को व हिस्सा 1/4 भाग का वादी संख्या 02 को तथा हिस्सा 1/4 भाग का वादी संख्या 03 को तथा शेष हिस्सा 1/4 भाग का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एकदूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से कोई दखलन्दाजी नहीं करें। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 27.12.2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 302/2018 दायर दिनाँक 23.08.2018

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. गीतादेवी पत्नी सायराराम, 2. भँवराराम पुत्र सायराराम, 3. तेजाराम पुत्र सायराराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–ढिगारिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सायराराम पुत्र भींवाराम, जाति–जाट, निवासी–ढिगारिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

दिनाँक 27.12.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री चेनाराम थोरी, वकील, वादीगण व श्री अशोकुमार भाकर, वकील, प्रतिवादी संख्या 01 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वादग्रस्त खसरान् की भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के किया जाकर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती हैः–

1. सरहद ढिगारिया में खसरा नम्बर 44 रकबा 66.17 बीघा भूमि में से, हिस्सा 1/4 भाग का वादी संख्या 01 को व हिस्सा 1/4 भाग का वादी संख्या 02 को तथा हिस्सा 1/4 भाग का वादी संख्या 03 को तथा शेष हिस्सा 1/4 भाग का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।
2. सरहद गाँवड़ी में खसरा नम्बर 115 रकबा 52.13 बीघा भूमि में से, हिस्सा 1/4 भाग का वादी संख्या 01 को व हिस्सा 1/4 भाग का वादी संख्या 02 को तथा हिस्सा 1/4 भाग का वादी संख्या 03 को तथा शेष हिस्सा 1/4 भाग का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एकदूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से कोई दखलन्दाजी नहीं करें। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

नीज.....–..... मुबलिंग.....–..... बाबत.....–.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 27.12.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner